न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 1211/2024
अनवान : –

1. भूप सिंह पुत्र दया राम जाति जाट साकिन मुन्सरी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. सुमित्रा पत्नी दिराम उर्फ दया राम जाति जाट साकिन मुन्सरी तहसील नोहर।
2. मुनी देवी पुत्री दिराम उर्फ दया राम जाति जाट साकिन मुन्सरी तहसील नोहर।
3. सन्तोष पुत्री दिराम उर्फ दया राम जाति जाट साकिन मुन्सरी तहसील नोहर।
4. द्रोपती पुत्री दिराम उर्फ दया राम जाति जाट साकिन मुन्सरी तहसील नोहर।
5. कुसुम पुत्री दिराम उर्फ दया राम जाति जाट साकिन मुन्सरी तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 09/1/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के खाता स0 84/76 की कुल 12.7040 हैक्ट भूमि दिराम उर्फ दया राम पुत्र रपतुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दिराम उर्फ दया राम पुत्र रपतुराम के नाम दर्ज है जो की वादी का पिता है। वादी के पिता दिराम उर्फ दया राम पुत्र रपतुराम का स्वर्गवास हो चुका है। दिराम उर्फ दया राम पुत्र रपतुराम के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 जो की वादी की बहिने है तथ प्रतिवादी संख्या 1 वादी की बहिने है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी के पक्ष में त्याग कर चुकी है प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 द्वारा अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया गया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी काबिज है। जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा दे परन्तु वे आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:27:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण दिराम, शपथ पत्र बाबत सदस्य दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दिराम उर्फ दया राम पुत्र रपतुराम के नाम दर्ज है जो की वादी का पिता है। वादी के पिता दिराम उर्फ दया राम पुत्र रपतुराम का स्वर्गवास हो चुका है। दिराम उर्फ दया राम पुत्र रपतुराम के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 जो की वादी की बहिने है तथ प्रतिवादी संख्या 1 वादी की बहिने है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी के पक्ष में त्याग कर चुकी है प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 द्वारा अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया गया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी काबिज है। जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के खाता स0 84/76 की कुल ... हैक्ट भूमि दिराम उर्फ दया राम पुत्र रपतुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का ... है कि उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:27:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रिकार्ड में दिराम उर्फ दया राम पुत्र रपतुराम के नाम दर्ज है जो की वादी का पिता है। वादी के पिता दिराम उर्फ दया राम पुत्र रपतुराम का स्वर्गवास हो चुका है। दिराम उर्फ दया राम पुत्र रपतुराम के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 जो की वादी की बहिने है तथ प्रतिवादी संख्या 1 वादी की बहिने है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी के पक्ष में त्याग कर चुकी है प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 द्वारा अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया गया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी काबिज है। वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को कोई ऐतराज नही है। वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य हैं।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के खाता स0 84/76 की कुल 12.7240 हैक्ट भूमि में दिराम पुत्र परतुराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 09/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल रा.प्र.से.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:27:50 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 1211/2024
अनवान : –

1. भूप सिंह पुत्र दया राम जाति जाट साकिन मुन्सरी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. सुमित्रा पत्नी दिराम उर्फ दया राम जाति जाट साकिन मुन्सरी तहसील नोहर।
2. मुनी देवी पुत्री दिराम उर्फ दया राम जाति जाट साकिन मुन्सरी तहसील नोहर।
3. सन्तोष पुत्री दिराम उर्फ दया राम जाति जाट साकिन मुन्सरी तहसील नोहर।
4. द्रोपती पुत्री दिराम उर्फ दया राम जाति जाट साकिन मुन्सरी तहसील नोहर।
5. कुसुम पुत्री दिराम उर्फ दया राम जाति जाट साकिन मुन्सरी तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1211 सन 2024 निर्णय दिनांक 09/01/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के खाता स0 84/76 की कुल 12.7240 हैक्ट भूमि में दिराम पुत्र परतुराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 09/01/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:27:50 IST
Reason: SelfAttested